2016/00001

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2016 (डूंगरपुर डिकी)

गोपाल दत्तक पिता कालिका मीणा डिण्डोर, निवासी विकास नगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति कूरी पुत्री कालिया मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.) हाल अपने पति वक्ता के घर गांव मेरोपी, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमति कुनी पुत्री कालिया मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.) हाल अपने पति कचरा पिता भेमा के घर गांव गैजी फला वजेपुर तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. नानूराम पिता रामा डिण्डोर मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. गणेश पिता रामा डिण्डोर मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.) मृतक के विविध वारीसान–:

   4/1. श्रीमति शारदा पत्नि स्व. गणेश डिण्डोर

   4/2. अनिल पिता स्व. गणेश नाबालिग की वली माता श्रीमति शारदा

   4/3. सुश्री लक्ष्मी पुत्री स्व. गणेश नाबालिग की वली माता श्रीमति शारदा
5. जीवा पिता रामा डिण्डोर मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.) मृतक के विविध वारीसान–:

   5/1. श्रीमति पारी पत्नि जीवा डामोर निवासी विकास नगर

   5/2. दिनेश पिता जीवा डेण्डोर नाबालिग की वली माता श्रीमति पारी

   5/3. प्रकाश पिता जीवा डेण्डोर नाबालिग की वली माता श्रीमति पारी

   5/4. निशा पुत्री जीवा डेण्डोर नाबालिग की वली माता श्रीमति पारी
6. श्रीमति कंकु पुत्री रामा डिण्डोर मीणा हाल अपने पति भंवरलाल कटारा के घर गांव हेराईयों का वाटा (गैजी), तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.) मृतक के विविध वारीसान–:

   6/1. भंवरलाल कटारा मृतका श्रीमति कंकु का पति

   6/2. दिनेश पिता भंवरलाल कटारा

   6/3. पप्पु पिता भंवरलाल कटारा

   6/4. जीवी पुत्री भंवरलाल कटारा, निवासी गांव हेराईयों का वाटा (गैजी), तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. सवली उर्फ सविता पुत्री रामा डिण्डोर ... अपने पति नवला रोत के घर गांव पाल गन्धवा, फला भं..., तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:59 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

8. बदी पुत्री रामा विधवा पत्नि हरजी मीणा, निवासी पोहरी, बडी तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमति मेटडी विधवा पत्नि रामा डिण्डोर मीणा, निवासी विकासनगर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 28.02.2011 प्र.सं. 183/2006

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

---::---

निर्णय **दिनांक 28–12–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहनें हैं। वादी कालिया पिता मनजी का दत्तक पुत्र है। कालिया की चार पुत्रियां पूंजी, कुरी, कुनी व सोमी थी, जिसमें से पूंजी व सोमी की मृत्यु हो चुकी है। वादी ने पूंजी, कुरी, कुनी व सोमी के विरूद्ध एक वाद संख्या 6/2001 प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 08–01–2001 को वादी के पक्ष में होकर वादी गोपाल के नाम भूमि दर्ज करने की डिक्री जारी की गयी है। पूंजी, कुरी, कुनी व सोमी ने प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता रामा के पक्ष में एक बक्षीसनामा दिनांक 25–06–2001 को निष्पादित किया। वादी आदिवासी मीणा होने से पुत्रियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी उनके द्वारा बक्षीसनामा निष्पादित कर दिया गया जो वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। वादी के पिता कालिया के खाते में खाता संख्या 274 की कुल 16 आराजीयात रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा एवं खाता संख्या 275 की आराजी नंबर 1283 व 3219 किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में 1/2 हिस्सा दर्ज था, जिसे वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादी को वाद पत्र की कलम संख्या 6 अंकित आरा[illegible] खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्[illegible] जावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:59 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बक्षीसनामा दिनांक 25–06–2001 शून्य घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा किया तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने बक्षीसनामा दिनांक 25–06–2001 को शून्य व बेअसर घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वाद इसी आधार पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने बक्षीसनामा को सुनने एवं बेअसर घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने के आधार पर वादी का वाद दिनांक 28–02–2011 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर इस न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि वादी/अपीलान्ट ने पूंजी, करी, कुनी व सोमी के विरूद्ध एक वाद संख्या 6/2001 प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 08–01–2001 को वादी के पक्ष में होकर वादी गोपाल के नाम भूमि दर्ज करने की डिक्री जारी की गयी है। उक्त वाद की तामील पूंजी, कुरी व कुनी को हो जाने के बावजूद दिनांक 25–06–2001 एक बक्षीसनामा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता रामा के पक्ष में को निष्पादित कर दिया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह होनी शेष थी, किन्तु प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने बक्षीसनामा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानकर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा [illegible] वादी/अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनतोष दिलाया जावे। अपने कथन में [illegible] नजीरें आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 1032, आर.[illegible] (6) 1999 पेज [illegible] प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:59 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि बक्षीसनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1221 प्रस्तुत की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। राजस्व जमाबन्दी में विवादित आराजियात पूंजी, कुरी, कुनी, सोनी पिता कालिया मीणा के नाम दर्ज हैं तथा उनके द्वारा दिनांक 25–06–2001 को रजिस्टर्ड बक्षीस रामा पिता थावरा मीणा के पक्ष में की जाना साक्ष्यों से प्रमाणित है। वादी/अपीलान्ट ने अपने वाद की कलम संख्या 15 (ब) में उक्त बक्षीसनामें को शून्य व बेअसर घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है, जबकि रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को शून्य एवं बेअसर घोषित करने का क्षेत्रधिकार/श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है, जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1221 से स्पष्ट है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने भी रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को सुनने एवं बेअसर घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

गोपाल दत्तक पुत्र कालिया मीणा डिण्डोर, निवासी विकासनगर, तहसील व जिला डूंगरपुर — बनाम — श्रीमती कुरी पुत्री कालिया मीणा निवासी विकासनगर हाल अपने पति वक्ता के घर गॉव मेरोप, तहसील सीमलवाड़ा व अन्य

अपील नं.....42/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....डूंगरपुर..... मुकाम.....मुवर्खे.....28.....माह.....02.....2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह.....12.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी...श्री शैलेष भण्डारी....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री लालसिंह चुण्डावत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2011 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....12.....2023 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:24:59 IST
Reason: SelfAttested